Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to restore the rights of scheduled tribes on forest land-Laid.

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी): देश के 12 लाख आदिवासियों को जंगल, जमीन व वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जमीन का पट्टा ओडिशा में दिया गया था लेकिन दुर्भाग्य से फ़रवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को रद्ध कर दिया, जिसके कारण आदिवासियों के अंदर नाराजगी उत्पन्न हो गई। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कैसे आदिवासियों को पुन: पट्टा प्रदान किया जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करना चाहिए।